राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.

जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2025/70
राजस्व वाद संख्या—43/2025
दायर दिनांक— 10.07.2025
निर्णय दिनांक— 16.10.2025

उनवानी—

1. राजेश कुमार मोदानी पुत्र घीसालाल मोदानी जाति महाजन
2. राकेश कुमार मोदानी पुत्र घीसालाल मोदानी जाति महाजन
3. कंचनलता पत्नि घीसालाल जाति महाजन
4. दयाल उर्फ दियाल पुत्र झूंथा जाति जाट
5. हरि पुत्र झूंथा जाति जाट

सर्वनिवासीगण ग्राम रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़

——प्रार्थीगण

बनाम

1. पुखराज पुत्र केसराराम ढाका जाति जाट नि0 ग्राम रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़
2. श्रवणी देवी पत्नि दयालराम ढाका जाति जाट नि0 ग्राम रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़
3. तेजा मेमोरियल शिक्षण संस्थान रूपनगढ़ जरिये अध्यक्ष श्रवणी देवी पत्नि दयालराम
4. गणेश पुत्र भंवरलाल
5. घासी पुत्र कालू
6. भारमल पुत्र भंवरलाल
7. मोहनलाल पुत्र सांवल
8. राजूराम पुत्र सांवल
9. सायरी पत्नि सांवल
10. हनुमान पुत्र सांवल

अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 10 जाति जाट, निवासी ग्राम रूपनगढ़

11. गिरीराज पुत्र बंशीधर
12. दामोदार पुत्र बंशीधर
13. बृजराज पुत्र बंशीधर
14. मु0 रतनी देवी पत्नि बंशीधर
15. राजगोपाल पुत्र देवकीनन्दन

अप्रार्थी संख्या 11 लगायत 15 जाति ब्राहमृण, निवासी ग्राम रूपनगढ़

16. श्री श्री जी महाराज स्थान सलेमाबाद जरिये पुजारी श्री माधवशरण जी महाराज ग्राम सलेमाबाद/निम्बार्कतीर्थ तह0 किशनगढ़
17. अमरचन्द पुत्र गोपाल
18. कमला पत्नि गोपाल
19. करतार पुत्र गोपाल
20. कैलाश पुत्र सोनी
21. कालूराम पुत्र गोपाल
22. छीतर पुत्र कल्याण
23. छोटू पुत्र जेठू
24. जतनी देवी पत्नि श्रवण
25. नोरती पुत्री सोनी
26. नोसर देवी पुत्री श्रवण
27. पुखराज पुत्र पांचू
28. पूजा पुत्री गोपाल
29. प्रधान पुत्र गोपाल
30. प्रेम देवी पुत्री पांचू
31. बालि पत्नि गोपाल
32. भंवरी पुत्री गोपाल
33. मथुरा पत्नि गोपाल

Signature Not Verified

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

34.मोगा पुत्री गोपाल
35.राजूराम पुत्र मदनलाल
36.रामकंवरी पत्नि मदनलाल
37.रामेश्वरी पुत्री कल्याण
38.लाली पुत्री सोनी
39.श्योकरण पुत्र जेठू
40.श्रीकिशन पुत्र मदनलाल
41.शोभा देवी पुत्री श्रवण
42.सम्पत पुत्री श्रवण
43.स्याणी पुत्री पांचू
44. सुरज्ञान पुत्री श्रवण
45.सीतुड़ी पुत्री कल्याण
46.हनुमान पुत्र पांचू
47.हरचन्द पुत्र गोपाल
48.हरदयाल पुत्र मदनलाल

अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 48 जाति जाट, निवासी ग्राम रूपनगढ़

49.कंचन पुत्री अमरचन्द
50.कमला पत्नि अमरचन्द
51.कान्ता पुत्री अमरचन्द
52.गिरधारी पुत्र भंवरलाल
53.गोपाल पुत्र गणेश
54.जयराम पुत्र जवारा
55.नन्दू पुत्री गणेश
56.नर्वदा पुत्री गणेश
57.प्रताप पुत्र भंवरलाल
58. रणजीत पुत्र भंवरलाल
59.रामचन्द्र पुत्र गणेश
60.रामलाल पुत्र गणेश
61. लाडा देवी पुत्री गणेश
62.लाली पुत्री गणेश
63.लीला पुत्री अमरचन्द

अप्रार्थी संख्या 49 लगायत 63जाति जाट, निवासी ग्राम रूपनगढ़

64.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान—भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति—:1. श्री रामदेव गुर्जर अधि0 प्रार्थी

2. श्री अरविन्द दाधीच, शान्तिलाल ढेल, अधि0 अप्रार्थी संख्या—16

—:निर्णयः—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ग्राम रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ में स्थित है। प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी ख0न0 3073/750 रकवा 0.9465 हैक्ट0 जिसकी उत्तरी सीमा में ख0न0 3072/750, 3071/750 दक्षिणी सीमा में ख0न0 2828/751, ख0न0 752, पूर्व सीमा में ख0न0 4585/2886 गै0मु0सड़क व पश्चिम में ख0न0 2828/751 व 3066/748 व 3067/748 के खातेदारान की भूमि स्थित है। जिनको अप्रार्थी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है।

प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी आराजी ख0न0 2828/751 रकवा 0.4854 हैक्ट0 जिसके उत्तरी सीमा में ख0न0 3073/750, 3067/748 दक्षिणी सीमा में ख0न0 752, पूर्व सीमा में ख0न0 3073/750 व पश्चिमी सीमा में ख0न0 756 के खातेदारान की भूमि स्थित है। जिनको अप्रार्थी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है।

प्रार्थी संख्या 3 से 5 की खातेदारी आराजी ख0न0 756 रकवा 1.4966 है0 जिसके उत्तर दिशा में ख0न0 3066/748, ख0न0 3067/748, व 746 के खातेदार की आराजी है। दक्षिण दिशा में ख0न0 751 व ख0न0 753 के खातेदारों की भूमि है। पूर्व दिशा में ख0न0 751 व ख0न0 2828/751 की भूमि है एवं पश्चिम में ख0न0 757 व ख0न0 755 के खातेदारों की भूमि है। जिनको अप्रार्थी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है।

प्रार्थी संख्या 3 व 4 की खातेदारी आराजी ख0न0 753 रकबा 1.2135 हैक्ट0 जिसके उत्तर दिशा में ख0न0 756 दक्षिण व पूर्व दिशा में ख0न0 752 व पश्चिम दिशा में ख0न0 755 के खातेदारान् की भूमि है जिनको अप्रार्थी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है।

Signature Not Verified
Reason: SelfAttested

...गण के ग्राम रूपनगढ़ स्थित वर्तमान ख0न0 3073/750, 2828/751, 756, 753 की भूमि है परन्तु
...र्थी संख्या 1 से 64 आये दिन सींव को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 64 एवं
उनके परिवारजन के द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है
एवं प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीगण काफी
परेशान है। दुवारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 64 आये दिन प्रार्थीगण की आराजी की मेड़, सींव, को लेकर
विवाद उत्पन्न करके प्रार्थीगण की आराजी में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है जिससे
प्रार्थीगण काफी परेशान है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 04.07.2025 को मौके पर उपस्थित होकर सीमाज्ञान
किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 64 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह को हटाते हुये प्रार्थीगण
की सह–खातदेारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है जिससे
प्रार्थीगण की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है चुंकि प्रार्थीगण एवं मौके पर वार–वार आकर
अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी
करवाना आवश्यक हुआ है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी
प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी
करवाना आवश्यक हुआ है।प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण दिनांक 04.07.2025 को उत्पन्न हुआ जब
प्रार्थीण की आराजी का सीमाज्ञान पटवारी हल्का द्वारा किया गया परन्तु प्रार्थीगण की आराजी बाबत् सही
नहीं करने एवं प्रार्थीगण की नींव, सींव को लेकर विवाद करने से एवं प्रार्थीगण की आराजी में मेड़, सींव,
नीव को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ एवं नींव, सींव से सम्बन्धित विवाद उत्पन्न होने से प्रार्थीगण द्वारा
जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक
हुआ है तब से वाद कारण निरन्तर जारी है। अप्रार्थी संख्या 64 भूमिधारी होने से पक्षकार है एवं अप्रार्थी
संख्या 1 लगायत 64 प्रार्थीगण की आराजी के पड़ौसी खातेदार होने से इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार
संयोजित किया गया है। ख0न0 757 में खातेदार में झुंता पुत्र भंवरलाल, सोदान पुत्र भंवरलाल व ख0न0
755 में खातेदार सरजू देवी पत्नि वंशीधर, मदनमोहन पुत्र वंशीधर, रामनिवास पुत्र रामकिशन, रामेश्वरलाल
पुत्र लक्ष्मीनारायण, श्यामसुन्दर पुत्र रामाकिशन, श्रीकिशन पुत्र रामकिशन व ख0न0 751 में खातेदार लाडा
देवी पत्नि पांचू, लाली पुत्री कल्याण के फौत होने से एवं विरासतन नामान्तररकरण नहीं खुलने से
पक्षकार कायम नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणधिकार में है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के
नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 64 तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश
किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 16 की ओर से वकील श्री शांतिलाल ढ़ेल
उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 16 की ओर से प्रकरण में जवाव पेश कर कथन किया कि रूपनगढ़ के
ख0न0 752 में तारवंदी हो रखी है व अप्रार्थी संख्या 16 अपनी राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी व राजस्व
नक्शे अनुसार ही काविज काश्त करता चला आ रहा है। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि वाद वर्णित
आराजी में खातेदार अलग–अलग है तथा कानून से विपरीत जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं
प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नम्बरान के खातेदार अलग–अलग है एवं उनकी सीमाएं भी अलग–अलग है
इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 से 15 व 17 से 63 बावजूद
सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में अप्रार्थी
संख्या 64 तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील
प्रार्थी ने अपनी वहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी की वाद
वर्णित भूमि व इससे लगवा पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में विवाद होता रहता है
इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी
किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। वकील अप्रार्थी संख्या 16 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र
को खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।
तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर
ग्राम रूपनगढ़ के ख0न0 3073/750, 2828/751, 756 व 753 की भूमि की पडौसी खातेदारो को
सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार
रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक
हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये
100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं
शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2025.12.09 15:50:31 IST
Reason: SelfAttested

रामकुमार टांडा
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)